मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 12–13/2014/सात/शा.2ए भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना के भू–अर्जन भुगतान बाबत्।

उपरोक्तानुसार, आपके जिले में जल संसाधन विभाग के लिए किए जा रहे भू–अर्जन के मामले प्रतिकर निर्धारण एवं अवार्ड पारित करने के लिए लंबित है। जल संसाधन विभाग द्वारा यह चिंता भी व्यक्त की गई है कि यदि शीघ्र अवार्ड पारित नहीं किया गया तो प्रकरण व्यपगत हो जाएंगे और फिर नये सिरे से भू–अर्जन की कार्यवाही में समय भी लगेगा और मुआवजा राशि में भी वृद्धि हो जाएगी।

2/ अतएव् निर्देशित किया जाता है कि भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उपधारा (1)(क) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करते हुए अवार्ड पारित करें, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में अवार्ड निर्धारण के लिए कारक (factor) की अधिसूचना जारी नहीं होने से आने वाली कठिनाई का प्रश्न है, इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वह फिलहाल कारक को 01 (एक) मानते हुए अवार्ड पारित करे और उसमें यह टीप अंकित करे कि यदि राज्य शासन द्वारा कारक अधिसूचित करते समय कोई वृद्धि की गई तो तद्नुसार अतिरिक्त राशि देय होगी, जिसका भुगतान संगणित कर दिया जाएगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् करें।

(अरूण तिवारी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ 12–13/2014/सात/शा.2ए भोपाल, दिनांक 06 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग